न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या — 101 / 2015

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.लक्ष्मीदेवी पत्नि थानाराम 2.थानाराम पुत्र गोकुलराम जातियान् घांची,निवासीगण जालोर,तहसील जालोर, जिला जालोर		1.जितेन्द्रकुमार पुत्र हंजारीमल माली निवासी राजेन्द्रनगर,जालोर 2.रमजानखां पुत्र हाजीखां,मुसलमान, निवासी मादलपुरा, .तहसील जालोर 3.अचलाराम पुत्र परकाजी,प्रजापत निवासी कुम्हारों का वास,जालोर, तहसील व जिला जालोर 4.नैना पुत्र वरदाजी,माली 5.पैलाद पुत्र वरदाजी,माली 6.रावताराम पुत्र संग्रामा, माली 7.उकाराम पुत्र संग्रामा, माली 8.वनीया पुत्र कस्तूरा,माली निवासीगण बेरा भीमावाली जालोर–ए,तहसील जालोर, जिला जालोर(राज.)

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर,दिनांक 4.8.2015(ना.क.सं.2103)

उपस्थिति :–
1.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,भिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री मधूसदन व्यास,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1से 5 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.6,7,8 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 4.7.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा जालोर'ए' के वर्तमान खसरा नम्बर 271 रकबा 1.20 हेक्टर स्थित है, पुराने खसरा नम्बर 1385 में से 0.76 हेक्टर भूमि सैटलमेन्ट अथोरिटी में से बिना किसी आदेश के कम करके गलत तरीके से बैचानकर्ता के नाम कर दी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर 4/7/19
जालोर (राज.)

जिसे पुनः अपीलांट्स के नाम दर्ज करने के लिये अपीलांट्स ने खातेदारी हक की घोषणा का दावा दिनांक 24.7.2015को न्यायालय में पेश कर दिया था, उसके साथ स्थगन प्रार्थनापत्र पेश कर दिया उसमें मौका की यथास्थिति बनाने रखने का आदेश दिनांक 29.9.2015को हो चुका है। वर्तमान रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि जरिये बैचान के खरीद की है जिसका अपीलाधीन म्युटेशन पटवारी हल्का ने दिनांक 29.7.2015 को दावा पेश होने के बाद खोला, उसे तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 4.8.2015को बिना आदेश के स्वीकृत हुआ। मौजा जालोर–ए की सीमा में वर्तमान खसरा नम्बर 775,776 कुल रकबा 1.93 हेक्टर व खसरा नम्बर 271 दोनो खेत पास पास में स्थित है, पुराने व नये खसरा नम्बरान् का रकबा मिलान करने पर अपीलांट्स के खेत का रेकर्ड में रकबा कम है, मौके पर खसरा नम्बर 271 में से 0.76 हेक्टर का रकबा मौके पर अपीलांट्स के कब्जे कदीम से है, मौके पर माठ वर्तमान नक्शे के अनुरूप नही है,सैटलमेन्ट अथोरिटी ने बिना किसी आदेश के अपीलांट्स के खेत की 0.76 हेक्टर कम करके पडौसी खाते में गलत रूप से दर्ज कर दी जिसे पुनः दुरूस्ती हेतु दावा पेश किया है। दावा के विचारण रहते हुए म्युटेशन कानूनन नही किया जा सकता है क्योंकि म्युटेशन कार्यवाही को फिस्कल प्रोसिडिंग्स माना गया है जिसमें अधिकार तय नही होते जब इन्ही पक्षकारों के बीच इसी भूमि बाबत् सक्षम राजस्व न्यायालय में दावा विचाराधीन है तो दावे के निर्णय के अनुसार म्युटेशन हो जायेगा,ऐसी स्थिति में अपीलाधीन म्युटेशन को दावे के निर्णय तक स्थगित रखा जाना चाहिये। म्युटेशन खोलने से पूर्व जांच करनी चाहिये कि मामला विचाराधीन तो नही है?इसके बाद ही म्युटेशन करना चाहिये था। म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर देने के लिए सूचना देनी चाहिये ,सूचना नही दी गई, एकतरफा स्वीकृत किया। दिनांक 30.9.2015 को स्टे की नकल देने पटवारी के पास गया तब पटवारी ने नही बताया कि म्युटेशन हो गया है। थानाराम दिनांक 5.10.2015 को पटवारी के पास म्युटेशन की जानकारी प्राप्त करने गया तो बताया कि तहसील कार्यालय में पता लगाओ, तब दिनांक 5.10.2015 नकल फार्म पेश किया जो नकल दिनांक 7.10.2015को मिली,दिनांक 7.10.2015 को प्रथम बार म्युटेशन की जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी नही थी। इस प्रकार जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद है। नियम 121 की पालना नही की है, आदेश के अभाव में अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर म्युटेशन सं. 2103दिनांक 4.8.2015 निरस्त करावे तथा तहसीलदार जालोर को दिशा निर्देश दिया जावे कि न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर में विचाराधीन दावा सं. 59/2015 लक्ष्मी वगैराह बनाम जितेन्द्रकुमार वगैराह के अन्तिम निर्णय तक रेकर्ड में कोई बदलाव नही करे। अपीलांट्स ने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर 24/2/19
जालोर (राज.)

अपीलांट्स ने अपील के साथ शपथपत्र, धारा 96सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र, धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन की प्रमाणित प्रति आदि पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा जालोर–ए के पुराने खसरा नम्बर 1385 में से 0.76 हेक्टर कृषि भूमि सेटलमेन्ट अथोरिटी ने बिना आदेश के कम कर गलत तरीके से बैचानकर्ता के नाम कर दी जिसे पुनःअपीलांट के खाते में दर्ज करने के लिए खातेदारी हक की घोषणा का दावा 24.7.15 को सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय में पेश किया, जिसके दावा सं.59/2015 है, दावे के साथ प्रस्तुत टी.आई. के प्रार्थनापत्र में मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 29.9.15 को हो चुका है। वर्तमान रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि जरिये बैचान के खरीद की है जिसका म्युटेशन पटवारी ने दावा पेश होने के बाद दिनांक 29.7.15 को खोला जाकर तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 4.8.15 को स्वीकृत किया गया है। दावा विचारण होते हुए म्युटेशन लम्बित रखे जाने का निर्णय विधिसम्मत् है,दावे के निर्णय तक म्युटेशन स्थगित रखने बाबत् नजीर आर आर टी 2004(1) पेज 489 पेश है, इसमें भी बैचान का म्युटेशन था जिसे प्रथम अपील में यथावत् रखा,द्वितिय अपील में निरस्त किया,रेवेन्यू बोर्ड में भी म्युटेशन को निरस्त करना उचित मानते हुए निगरानी खारीज की है।

अपीलाधीन म्युटेशन निर्णित करने का अधिकार प्रथमतः 45 दिन जो अब 30दिन तक ग्राम पंचायत में पेश कर निर्णित किये जाने के प्रावधान है लेकिन प्रस्तुत म्युटेशन ग्राम पंचायत में पेश नही हुआ और सीधे तहसीलदार जालोर ने ही निर्णित कर दिया।अपीलाधीन म्युटेशन निर्णित करने की तिथि को राज्य सरकार द्वारा राजस्व अभियान वगैराह भी नही था। इसके समर्थन में आर आर टी 2002(2)पेज 966 , लता बनाम बीरबल की नजीर पेश की। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 4.8.15 निरस्त करावे व प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड करावे कि दावे के अन्तिम निर्णय अनुसार म्युटेशन की कार्यवाही करे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स के वकील ने बताया कि अपीलांट ने दावा दिनांक 24.7.15को पेश किया है व अपील दिनांक 16.10.15 को पेश की है,यह अपील म्याद बाहर पेश की है,देरी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

का दिन प्रतिदिन का कोई कारण नही बताया है। म्युटेशन बैचान दस्तावेज के आधार पर भरा विधिवत् रूप से जांच कर स्वीकृत किया गया है जब तक बैचान दस्तावेज को निरस्त नही करवाया जाता तब म्युटेशन खारिज नही किया जा सकता। म्युटेशन की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसके जरिये हक हकूक नही दिये जा सकते,अतः अपीलांट्स की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2103 दिनांक 4.8.2015 को स्वीकृत किया गया है,उक्त समय इसमें किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही था। जालोर–ए नगरपालिका क्षैत्र में आता है, अतः ग्राम पंचायत के 45 दिन में नामान्तरकरण की राज्य सरकार की अधिसूचना 4.9.1982 लागू नही होती है।दावे के निर्णय तक म्युटेशन स्थगित रखने बाबत् व ग्राम पंचायत में म्युटेशन पेश नही होकरं सीधे ही तहसीलदार द्वारा म्युटेशन निर्णित करने बाबत् नजीर माननीय राजस्व मण्डल की क्रमशःआर आर टी 2004(1) पेज 489, आर आर टी 2002(2) पेज 966 की पेश की है जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण वर्तमान में विचाराधीन नही होने तथा उक्त भूमि नगरपालिका क्षैत्र में होने से दोनो नजीरे इसमें लागू नहीं होती है। अतःअपीलांट्स की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 4.8.2015 (ना.क.सं.2103) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 4.7.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर